न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0
प्रार्थना–पत्र सं0 : 70 सन 2018
अनवान :–

1. मंन्दिर ठाकूर जी परलीका नाबालिग जरिये पुजारी जगदीश पुत्र नौरंगदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. रामकुमार पुत्र नानूदास जाति स्वामी निवासी परलीका तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत

अरथाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता सायल

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 05/11/2018

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि मंन्दिर ठाकुर जी के नाम से माफी मन्दिर की भूमि चक 16 एनटीआर की जमाबन्दी सम्वत 2073–75 के खाता संख्या 92/88 के प0न0 362/433(71) के किला न0 21 ता 25 व प0न0 363/434 (75) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21 व प0न0 362/434(76) के किला न0 1 ता 25 व प0न0 363/435(83) किला न0 1 कुल तादादी 36.00 बीघा (9.1080हैक) तथा चक 20 डीपीएन की जमाबन्दी सम्वत 2073–75 के खाता संख्या 177/160 के प0न0 362/437(15) के किला न0 23 ,24 ,25 व प0न0 362/438(17) के किला न0 3 ता 8 व प0न0 363/438(18) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 10 कुल किता 15 की 3.7950हैक भूमि थी।

रोही मोजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 177/160 की 3.7950हैक भूमि जो मन्दिर ठाकुर जी के नाम थी वा भूमि गैरसायल न0 1 ने न्यायालय से धोखे में रखकर गलत प्रविष्टियों के आधार पर एक दावा रामकुमार बनाम सरकार पेश करके फर्जी तौर से गर्वमेन्ट सर्वेन्ट दिखाकर खातेदारी दर्ज करवाली जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधीकारी हनुमानगढ मे जैरकार है जिसके आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.07.2018 निश्चित की गई है तथा स्थगन आदेश जारी है।

गैरसायल न0 1 बहुत ही तैज तर्रार तथा झगडालू किस्म का व्यक्ति है जिसका मन्दिर ठाकुरजी की दोनो चकों की 51.00 बीघा भूमि का विवाद रामकुमार सदेव करता था इसलिये दिनांक 25.05.2017 को परिवारिक तौर से बटवारा मुताबिक पुजा व देखरेख मन्दिर के अनुसार बटवारा कर लिया जिसके मुताबिक मदिर माफी की भूमि चक 20 डीपीएन की 15.00 बीघा रामकुमार काश्त करेगा तथा चक 16 एनटीआर के मु0न0 71 के किला न0 21 ता 25 , मु0न0 76 के किला न0 1 ता 5 ,9 ता 12 व 19 ता 20 मु0न0 75 के किला न0 1 ,10 कुल 18.00 बीघा भूमि रामप्रताप पुत्र शेरदास तथा शेष भूमि मु0न0 26 के किला न0 6 ता 8 ,13 ता 18 21 ता 25 व मु0न0 75 के किला न0 11 ,20 ,21 व मु0न0 83 के किला न0 1 कुल 18.00 बीघा भूमि सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी गण संख्या 3 ता 5 काश्त करेगे तथा इसी बटवारा के

Scanned with CamScanner

अनुसार डोली की भूमि काश्त करेगे एवं बटवारा को दिनांक 25.05.2017 को नोटेरी से तस्दीक करवा लिया।

गेरसायल उक्त लिखापढी व सहमति पत्र के एक दावा रामकुमार बनाम सरकार उपखण्ड अधिकारी नोहर में एक पक्षीय साजीसाना तौर पर मंन्दिर की भूमि को फर्जी दस्तावेज व अदालत को गुमराह कर डिक्री हासिल करने के पश्चात उत्साहित होकर अब सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में दखल देने की योजना बना रहा है और भूमि पर कब्जा करने की फिराक में हे यदि ऐसा हो गया तो सायल व दावा में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को अपूर्णीय क्षति होगी।

वाद भूमि पूर्व में एक लिखमीदास पुजारी था जो रेल्वे में नोकरी करता था वह तौर पुजारी की हैसीयत से काश्त करता था जो जवानी में ही फौत हो गया उसके घर जवान बहु होने के कारण काफी परेशानी हो रही थी तथा सालय के दादा वादी के पिता के बचपन में फोत होने के कारण दादी अपने बेटे फुसाराम व बुधराम व नानूराम व दो बेटियों को लेकर खाने कमाने के लिये मजदुरी के उदेश्य से बाहर पंजाब जाने के लिये नोहर रेल्वे स्टेशन पर बैठे थे तथी लिखमीदास जो रेल्वे में कर्मचारी था से परिचय हो गया और जाति एक होने के कारण गोत्र पुछी तो रावता की बहु की गोत्र होने के कारण दादी व बच्चो अपने साथ परलीका ले गया तथा मन्दिर की सेवा दादी व सायल के पिता चाचा करने लग गये तथा परलीका के निवासी हो गये।

लिखमीदास ने कभी भी नानूराम को खोले लिया था ना नानूराम लिखमीदास का खोलायत पुत्र था चुकि फुसाराम फोज में चला गया था बुधराम व नानुराम दोनो लिखमीदास के साथ बतौर पुजारी मन्दिर की सेवा करने लगा तथा भूमि काश्त करने लग गये बुधराम के शेरदास व नोरगदास को खोले ले लिया तथा वह फुसाराम के हक पर चला गया नानूदास के राम कुमार गैरसायल न0 1 हुआ व नोरगदास के सायल तथा दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 हुए इस प्रकार मंन्दिर माफी की भूमि बतौर पुजारी स्वामी परिवार की हैसियत से 1/3 हिस्सा रामकुमार 1/3 हिस्सा सायल व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 व 1/3 हिस्सा शेरदास का पुत्र रामप्रताप हुए किन्त राजस्व रिकार्ड में फर्जी अंकन नानूदास ने बतौर पि0म0 दर्ज करवाकर अकेले के नाम दर्ज करवाली व नानूराम की मृत्यू के पश्चात रामकुमार ने दर्ज करवाली अतः न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है कि नानूराम लिखमीदास का खोलायत पुत्र नही हे बल्की सयुक्त रूप से सायल व दावा में प्रतिवादीगण पुजारी घेरू तौर पर काश्त करते चले आ रहे है माफी मन्दिर की भूमि हिस्सानुसार गैरसायल न0 1 चक 21 डीपीएन की 15 किला भूमि जो अच्छी किस्म की है काश्त करता हे तथा चक 16 एनटीआर की भूमि 36 किला सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 काश्त करते है यही घोषणा करवा पाने के अधिकारी है

नानूराम को कभी भी लिखमीचन्द का खोला नही दिया गया ना ही खोलानामा है किसी भी रीति रिवाज से खोलायत पुत्र नही है अतः न्यायालय से घोषणा करवापाने के अधिकारी है कि नानुराम लिखमीदास का खोलायत पुत्र नही है बल्की शामिल तौर से सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण पूजा अर्जना करते है इसलिये बतौर पुजारी अपना नाम सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि चक 16 एनटीआर के जमाबन्दी सम्वत 2072–15 के खाता संख्या 92/88 की 9.1080हैक भूमि में से गैरसायल न0 1 स्वय अथवा अपने आदिमियों से सायल के दावा में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में दखल न देवे ।

Scanned with CamScanner

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसालय जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया की

मन्दिर ठाकूर जी शास्वत नाबालिग है परन्तु सायल ना ही तो मन्दिर ठाकुरजी का संरक्षक है ना ही पुजारी है सायल किसी भी सक्षम न्यायालय से पुजारी अथवा संरक्षक घोषित नही है प्रश्नगत भूमि मन्दिर ठाकुरजी के नाम दर्ज थी। गैरसायल ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में रामकुमार बनाम सरकार वाद पेश किया था जो डिक्री किया जा चुका है जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में विचाराधीन है जिसके सम्बध में सायल के द्वारा अंकित तथ्य मनगढत व आधारहीन है वाद मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर डिक्री किया गया है।

सायल का ना तो प्रश्नगत भूमि कब्जा काश्त में है उसका कभी भी राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही रहा है वाद भूमि का कब्जा गैरसायल के पास ही रहा है व वर्तमान में गुवार की फसल काश्त की हुई है एवं न्यायालय वाद भूमि का कब्जा काश्त देखना चाहती है तो गैरसायल सहमत है लिखमीदास ने पूर्व में मन्दिर ठाकूर जी के सेवा की थी तत्पश्चात नानूदास जो कि उसके खालेायत पुत्र थे मन्दिर की सेवा की थी फुसाराम बुधराम आदि ने कोई सेवा नही कि है लिखमीदास कब फोत हो गया तथा कब सायल के परिवार को रेल्वे स्टेशन पर मिल स्पष्ट नही है किसी के रेलवे स्टेशन से मिलने से वाद भूमि का खातेदार नही हो सकता है।लिखमीदास का वादी के पिता नानूदास लिखमीदास पुत्र सीतारा के अपनी कोई ओलाद नही होने के कारण राजीरजा नानुराम पुत्र सालगराम को दिनांक 24.11.1982 को जरिये रजिस्टर खोलानामा के खोले ले लिया था सायल द्वारा कथित तथ्यों को वाद भूमि से कोई सरोकार नही है। हस्तगत खोलानामा को निरस्त नही किया जाता तब तक खोलानामा वैध व सही है।

शपथ पत्र दिनांक 03.05.2017 गैरसायल पर अपराधिक मुकदमा दर्ज करवाऐ जाने का भय दिखाकर करवाया गया है उक्त शपथ पत्र दिनांक 03.05.2017 का लिखित व उसके दिनांक 25.05.2017 को नोटेरी पब्लिक तस्दीक होना बतलाया गया है वह सदभावी नही है राजस्व रिकार्ड के तहत केवल शपथ पत्र के आधार पर वाद भूमि के किसी को कोई खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जा सकता है राजीनामा सदभाविक रूप से नही किया गया है तथा राजीनामा कानुनी तौर से रजिस्टर व डयूली स्टाम्पित व सत्यापित नही है तथा राजीनामा की आवश्यक शर्तो को पूरा नही करता है इसलिये गैरसायल का दस्तावेज से वाध्य नही है राजस्व वादों में बिना राजस्व रिकार्ड के उक्त राजीनामा प्रभावशील नही है।

गैरसायल के पिता नानूराम व लिखमीदास पि0 सीताराम के खोलायत पुत्र थे वाद भूमि लिखमीदास पुत्र सीताराम जाति स्वामी जो दिनांक 29.08.1925 की उक्त भूमि मन्दिर माफी के तौर से मिली हुई थी उसके बाद दिनांक 27.04.1941 को मिसल संख्या 87 के द्वारा राजस्व कमीश्नर के द्वारा दिनांक 10.12.1941 लिखमीदास के खोलायत बेटे नानुराम के नाम दर्ज किये जाने की मन्जुरी दे दी गई रजिस्टर माफीदारान ग्राम परलीका सन 1944 से साबित है तथा रजिस्टर हक मोरूसी परलीका तहसील नोहर राजस्था बीकानेर के पाना संख्या 5 एसआरडब्ल्यू 11/12 मन्दिर माफी में भूमि लिखमीदास को देय जाने के तथ्य दर्ज है जिससे स्पष्ट है उक्त भूमि पूर्व में लिखमीदास और तत्पश्चात नानूराम के नाम वाद भूमि दर्ज रही चुकि वाद भूमि का सन 1942 से पूर्व लिखमीदास के नाम व सम्वत 2012 से 15 में नानूरा के नाम दर्ज रहा है सन 1944 में नानूराम के नामदर्ज हो गया था इसलिये सन 1955 में काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व भी गैरसायल के पिता व दादा माफीदार रहे है तथा मन्दिर के नाम यह भूमि बदोबस्त विलेख में कभी भी काश्त दर्ज नही रही इसलिये गैरसायल उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा राजस्थान लेण्ड रिफोर्मस एण्ड रिज्यमसन ऑफ जागीर एक्ट 1952 की धारा 9 ,10 है धारा 10 में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि मन्दिर माफी की भूमि जागीर अधिगृहण के

Scanned with CamScanner

समय किसी व्यक्ति के नाम खातेदार , पटटा तथा जागीरदार आदि के नाम दर्ज है तो उन खातेदारों को पूर्व उत्ताधिकारी योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होगे ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिर के नाम दर्ज करवाया जाना विधि सम्मत नही है इसलिये राजस्व रिकार्ड में खातेदार का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज होगा इसलिये गैरसायल का नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज होगा इसलिये गैरसायल का नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जाता है तो कानूनी रूप से विधि सम्मत है।

इसप्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण व सूविधा का सन्तूलन की आवश्यक शर्तो सायल की पुरी नही करता है तथा उक्त तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में ना होकर गैरसायलन के पक्ष में है अतः प्रार्थना पत्र मय अनुतोष खारिज किया जावे जवाब दावा शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की ।

मंन्दिर ठाकुर जी के नाम से माफी मन्दिर की भूमि चक 16 एनटीआर की जमावन्दी सम्वत 2073–75 के खाता संख्या 92/88 के प0न0 362/433(71) के किला न0 21 ता 25 व प0न0 363/434 (75) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21 व प0न0 362/434(76) के किला न0 1 ता 25 व प0न0 363/435(83) किला न0 1 कुल तादादी 36.00 बीधा (9.1080हैक) तथा चक 20 डीपीएन की जमाबन्दी सम्वत 2073–75 के खाता संख्या 177/160 के प0न0 362/437(15) के किला न0 23 ,24 ,25 व प0न0 362/438(17) के किला न0 3 ता 8 व प0न0 363/438(18) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 10 कुल किता 15 की 3.7950हैक भूमि थी।

वाद भूमि पूर्व में एक लिखमीदास पुजारी था जो रेल्वे में नोकरी करता था वह तौर पुजारी की हैसीयत से काश्त करता था जो जवानी में ही फौत हो गया उसके घर जवान बहु होने के कारण काफी परेशानी हो रही थी तथा सालय के दादा वादी के पिता के बचपन में फोत होने के कारण दादी अपने बेटे फुसाराम व बुधराम व नानूराम व दो बेटियों को लेकर खाने कमाने के लिये मजदुरी के उदेश्य से बाहर पंजाब जाने के लिये नोहर रेल्वे स्टेशन पर बैठे थे तथी लिखमीदास जो रेल्वे में कर्मचारी था से परिचय हो गया और जाति एक होने के कारण गोत्र पुछी तो रावता की बहु की गोत्र होने के कारण दादी व बच्चो अपने साथ परलीका ले गया तथा मन्दिर की सेवा दादी व सायल के पिता चाचा करने लग गये तथा परलीका के निवासी हो गये।

लिखमीदास ने कभी भी नानूराम को खोले लिया था ना नानूराम लिखमीदास का खोलायत पुत्र था चुकि फुसाराम फोज में चला गया था बुधराम व नानुराम दोनो लिखमीदास के साथ बतौर पुजारी मन्दिर की सेवा करने लगा तथा भूमि काश्त करने लग गये बुधराम के शेरदास व नोरगदास को खोले ले लिया तथा वह फुसाराम के हक पर चला गया नानूदास के राम कुमार गैरसायल न0 1 हुआ व नोरगदास के सायल तथा दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 हुए इस प्रकार मंन्दिर माफी की भूमि बतौर पुजारी स्वामी परिवार की हैसियत से 1/3 हिस्सा रामकुमार 1/3 हिस्सा सायल व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 व 1/3 हिस्सा शेरदास का पुत्र रामप्रताप हुए किन्त राजस्व रिकार्ड में फर्जी अंकन नानूदास ने बतौर पि0म0 दर्ज करवाकर अकेले के नाम दर्ज करवाली व नानूराम की मृत्यू के पश्चात रामकुमार ने दर्ज करवाली अतः न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है कि नानूराम लिखमीदास का खोलायत पुत्र नही हे बल्की सयुक्त रूप से सायल व दावा में प्रतिवादीगण पुजारी घेरू तौर पर काश्त करते चले आ रहे है माफी मन्दिर की भूमि हिस्सानुसार गैरसायल न0 1 चक 21 डीपीएन की 15 किला भूमि जो अच्छी किस्म की है काश्त करता हे तथा चक 16 एनटीआर की भूमि 36 किला सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 काश्त करते है यही घोषणा करवा पाने के अधिकारी है

Scanned with CamScanner

नानूराम को कभी भी लिखमीचन्द का खोला नही दिया गया ना ही खोलानामा है किसी भी रीति रिवाज से खोलायत पुत्र नही है अतः न्यायालय से घोषणा करवापाने के अधिकारी है कि नानुराम लिखमीदास का खोलायत पुत्र नही है बल्की शामिल तौर से सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण पूजा अर्जना करते है इसलिये बतौर पुजारी अपना नाम सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

रोही मोजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 177/160 की 3.7950हैक भूमि जो मन्दिर ठाकुर जी के नाम थी वा भूमि गैरसायल न0 1 ने न्यायालय से धोखे में रखकर गलत प्रविष्टियों के आधार पर एक दावा रामकुमार बनाम सरकार पेश करके फर्जी तौर से गर्वमेन्ट सर्वेन्ट दिखाकर खातेदारी दर्ज करवाली जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधीकारी हनुमानगढ मे जैरकार है जिसके आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.07.2018 निश्चित की गई है तथा स्थगन आदेश जारी है।

गैरसायल न0 1 बहुत ही तैज तर्रार तथा झगडालू किस्म का व्यक्ति है जिसका मन्दिर ठाकुरजी की दोनो चकों की 51.00 बीधा भूमि का विवाद रामकुमार सदेव करता था इसलिये दिनांक 25.05.2017 को परिवारिक तौर से बटवारा मुताबिक पुजा व देखरेख मन्दिर के अनुसार बटवारा कर लिया जिसके मुताबिक मदिर माफी की भूमि चक 20 डीपीएन की 15.00 बीधा रामकुमार काश्त करेगा तथा चक 16 एनटीआर के मु0न0 71 के किला न0 21 ता 25 , मु0न0 76 के किला न0 1 ता 5 ,9 ता 12 व 19 ता 20 मु0न0 75 के किला न0 1 ,10 कुल 18.00 बीधा भूमि रामप्रताप पुत्र शेरदास तथा शेष भूमि मु0न0 26 के किला न0 6 ता 8 ,13 ता 18 21 ता 25 व मु0न0 75 के किला न0 11 ,20 ,21 व मु0न0 83 के किला न0 1 कुल 18.00 बीधा भूमि सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी गण संख्या 3 ता 5 काश्त करेगे तथा इसी बटवारा के अनुसार डोली की भूमि काश्त करेगे एवं बटवारा को दिनांक 25.05.2017 को नोटेरी से तस्दीक करवा लिया।

गेरसायल उक्त लिखापढी व सहमति पत्र के एक दावा रामकुमार बनाम सरकार उपखण्ड अधिकारी नोहर में एक पक्षीय साजीसाना तौर पर मंन्दिर की भूमि को फर्जी दस्तावेज व अदालत को गुमराह कर डिक्री हासिल करने के पश्चात उत्साहित होकर अब सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में दखल देने की योजना बना रहा है और भूमि पर कब्जा करने की फिराक में हे यदि ऐसा हो गया तो सायल व दावा में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि चक 16 एनटीआर के जमाबन्दी सम्वत 2072–15 के खाता संख्या 92/88 की 9.1080हैक भूमि में से गैरसायल न0 1 स्वय अथवा अपने आदिमियों से सायल के दावा में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में दखल न देवे ।

वकील गैरसायल के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की मन्दिर ठाकूर जी शास्वत नाबालिग है परन्तु सायल ना ही तौ मन्दिर ठाकुरजी का संरक्षक है ना ही पुजारी है सायल किसी भी सक्षम न्यायालय से पुजारी अथवा संरक्षक धोषित नही है प्रश्नगत भूमि मन्दिर ठाकुरजी के नाम दर्ज थी। गैरसायल ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में रामकुमार बनाम सरकार वाद पेश किया था जो डिक्री किया जा चुका है जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में विचाराधीन है जिसके सम्बध में सायल के द्वारा अंकित तथ्य मनगढत व आधारहीन है वाद मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर डिक्री किया गया है।

सायल का ना तो प्रश्नगत भूमि कब्जा काश्त में है उसका कभी भी राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही रहा है वाद भूमि का कब्जा गैरसायल के पास ही रहा है व वर्तमान में गुवार की फसल काश्त की हुई है एवं न्यायालय वाद भूमि का कब्जा काश्त देखना चाहती है तो

Scanned with CamScanner

गैरसायल सहमत है लिखमीदास ने पूर्व में मन्दिर ठाकूर जी के सेवा की थी तत्पश्चात नानूदास जो कि उसके खालेायत पुत्र थे मन्दिर की सेवा की थी फुसाराम बुधराम आदि ने कोई सेवा नही कि है लिखमीदास कब फोत हो गया तथा कब सायल के परिवार को रेल्वे स्टेशन पर मिल स्पष्ट नही है किसी के रेलवे स्टेशन से मिलने से वाद भूमि का खातेदार नही हो सकता है।लिखमीदास का वादी के पिता नानूदास लिखमीदास पुत्र सीतारा के अपनी कोई ओलाद नही होने के कारण राजीरजा नानुराम पुत्र सालगराम को दिनांक 24.11.1982 को जरिये रजिस्टर खोलानामा के खोले ले लिया था सायल द्वारा कथित तथ्यों को वाद भूमि से कोई सरोकार नही है। हस्तगत खोलानामा को निरस्त नही किया जाता तब तक खोलानामा वैध व सही है।

शपथ पत्र दिनांक 03.05.2017 गैरसायल पर अपराधिक मुकदमा दर्ज करवाऐ जाने का भय दिखाकर करवाया गया है उक्त शपथ पत्र दिनांक 03.05.2017 का लिखित व उसके दिनांक 25.05.2017 को नोटेरी पब्लिक तस्दीक होना बतलाया गया है वह सदभावी नही है राजस्व रिकार्ड के तहत केवल शपथ पत्र के आधार पर वाद भूमि के किसी को कोई खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जा सकता है राजीनामा सदभाविक रूप से नही किया गया है तथा राजीनामा कानुनी तौर से रजिस्टर व डयूली स्टाम्पित व सत्यापित नही है तथा राजीनामा की आवश्यक शर्तो को पूरा नही करता है इसलिये गैरसायल का दस्तावेज से बाध्य नही है राजस्व वादों में बिना राजस्व रिकार्ड के उक्त राजीनामा प्रभावशील नही है।

गैरसायल के पिता नानूराम व लिखमीदास पि0 सीताराम के खोलायत पुत्र थे वाद भूमि लिखमीदास पुत्र सीताराम जाति स्वामी जो दिनांक 29.08.1925 की उक्त भूमि मन्दिर माफी के तौर से मिली हुई थी उसके बाद दिनांक 27.04.1941 को मिसल संख्या 87 के द्वारा राजस्व कमीश्नर के द्वारा दिनांक 10.12.1941 लिखमीदास के खोलायत बेटे नानुराम के नाम दर्ज किये जाने की मन्जुरी दे दी गई रजिस्टर माफीदारान ग्राम परलीका सन 1944 से साबित है तथा रजिस्टर हक मोरूसी परलीका तहसील नोहर राजस्था बीकानेर के पाना संख्या 5 एसआरडब्ल्यू 11/12 मन्दिर माफी में भूमि लिखमीदास को देय जाने के तथ्य दर्ज है जिससे स्पष्ट है उक्त भूमि पूर्व में लिखमीदास और तत्पश्चात नानूराम के नाम वाद भूमि दर्ज रही चुकि वाद भूमि का सन 1942 से पूर्व लिखमीदास के नाम व सम्वत 2012 से 15 में नानूरा के नाम दर्ज रहा है सन 1944 में नानूराम के नामदर्ज हो गया था इसलिये सन 1955 में काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व भी गैरसायल के पिता व दादा माफीदार रहे है तथा मन्दिर के नाम यह भूमि बदोबस्त विलेख में कभी भी काश्त दर्ज नही रही इसलिये गैरसायल उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा राजस्थान लेण्ड रिफोर्मस एण्ड रिज्यमसन ऑफ जागीर एक्ट 1952 की धारा 9 ,10 है धारा 10 में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि मन्दिर माफी की भूमि जागीर अधिगृहण के समय किसी व्यक्ति के नाम खातेदार , पटटा तथा जागीरदार आदि के नाम दर्ज है तो उन खातेदारों को पूर्व उत्ताधिकारी योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होगे ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिर के नाम दर्ज करवाया जाना विधि सम्मत नही है इसलिये राजस्व रिकार्ड में खातेदार का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज होगा इसलिये गैरसायल का नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज होगा इसलिये गैरसायल का नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जाता है तो कानूनी रूप से विधि सम्मत है।

इसप्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण व सूविधा का सन्तूलन की आवश्यक शर्तो सायल की पुरी नही करता है तथा उक्त तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में ना होकर गैरसायलन के पक्ष में है अतः प्रार्थना पत्र मय अनुतोष खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया दोनो ही पक्ष स्वीकार करते है कि पूर्व में भूमि मन्दिर ठाकुर जी के नाम से दर्ज थी जिसकी सेवा चाकरी उनके पूर्वज करते थे। दोनो पक्षों के मध्य प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त को लेकर

Scanned with CamScanner

विवाद है दोनो ही पक्षकार रोही मोजा चक 16 एनटीआर की भूमि को अपने कब्जा काश्त में होना जाहिर कर रहे है।

यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की प्रश्नगत भूमि लिखमीदास की भूमि था या मन्दिर ठाकुरजी की भूमि थी और लिखमीदास के खोलायत पुत्र एवं वारिस व प्रश्नगत भूमि के हकदार कोन है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना हे कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है ।

सायल व गेरसायल दोनो ही पक्ष प्रश्नगत भूमि को अपने अपने कब्जा काश्त में होना जाहिर कर रहे है जो साक्ष्य सबुतो के आधार पर वाद में ही तय होगा अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल एवं गैरसायल दोना के पक्ष में साबित नही होता है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि मन्दिर ठाकुरजी के नाम से दर्ज है जो पूर्व में लिखमीदास के नाम से माफी मन्दिर ठाकुर जी का पुजारी होने की हैसियत से कब्जा काश्त में दर्ज थी। चक 20 डीपीएन की भूमि के सम्बध में एक वाद रामकुमार बनाम सरकार में पारित डिक्री के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाना अवगत करवाया गया है जिसके सम्बध में माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील विचाराधीन है एवं माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ का स्थगन आदेश भी है अर्थात जब हस्तगत न्यायालय से उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है तो दोनो पक्षों सायल व गैरसायाल के पक्ष में सुविधा के सन्तुलन पर विचार किया जाना न्यायोचित नही है। चक 16 एनटीआर की भूमि को दोनो ही पक्षकार अपने अपने कब्जा काश्त की होना जाहिर कर रहे है।

प्रश्नगत भूमि मन्दिर ठाकुर जी की माफी की भूमि है या माफी चाकरान की भूमि है यह तथ्य वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा जब तक उक्त तथ्य तय नही हो जाता तब तक किसी का भी प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार की निषधाज्ञा निरन्तर रखी जानी उचित नही है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा दिनांक 22.06.2018 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/11/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(सैयद शीराज अली जैदी)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner